

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एम-103/2012- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2019

बिहार राज्य एड्स नियंत्रण सोसाईटी, शेखपुरा पटना के सुचारु रूप से संचालन हेतु बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों को अगले आदेश तक बिहार राज्य एड्स नियंत्रण सोसाईटी शेखपुरा में प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

- (क) डा० अभय प्रसाद, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल मधेपुरा को अपर परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है।
- (ख) डा० नरेन्द्र कुमार गुप्ता, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सदर प्रखण्ड सासाराम जो बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना में उप निदेशक एस०टी०आई० के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया है की उक्त प्रतिनियुक्ति को समाप्त करते हुए डा० गुप्ता को उप निदेशक ब्लड शेपटी, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति किया जाता है।
- (ग) डा० राजेश कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नावकोठी, बेगूसराय को उप निदेशक, एस०टी०आई० उप निदेशक, ब्लड शेपटी, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति किया जाता है।
2. यह प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी। उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अनिल कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-2/एम-103/2012-

863(2)

पटना, दिनांक 19/07/2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : परियोजना निदेशक बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना /जिला पदाधिकारी, मधेपुरा, सासाराम एवं बेगूसराय/सिविल सर्जन, मधेपुरा सासाराम एवं बेगूसराय/अधीक्षक, सदर अस्पताल, मधेपुरा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सदर प्रखण्ड सासाराम/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नावकोठी, बेगूसराय/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई० टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ /विशेष सचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

19.3.2019
सरकार के संयुक्त सचिव